कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा

अल्पावधि निविदा

गोड्डा जिले के सदर अस्पताल/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों के लिए मशीन उपकरण/सर्जिकल औजार/ रीएजेन्ट/दवा इत्यादि की आपूर्ति के लिए बहुराष्ट्रीय लोकप्रिय प्रचलित कम्पनी आई.एस.आई. एवं एम.एस.आई. कम्पनी से एवं उनके अधिकृत अनुज्ञप्ति प्राप्ति थोक बिक्रेता से मुहरबंद लिफाफे में निबन्धित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मुख्य रूप से वर्ष 2010–11 के लिए होगी तथा इसका मान्य अगले निविदा प्रकाशन की तिथि तक होगा। निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 25.02.2011 के अपराह्न 5.00 बजे तक होगी। निविदा प्राप्ति के अंतिम दिन से दूसरे दिन कार्यालय कार्यकाल में सिविल सर्जन, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ठ में क्रय समिति के समक्ष निविदा 12.00 बजे दिन से खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने सामग्री के नमूना के साथ उपस्थित होंगे।

निविदा की शर्त्ते

1. निविदा दो प्रकार की होगी।
   (क) तकनीकी निविदा के साथ सभी सम्बन्धित कागजात एवं पूर्ण तकनीकी विवरणी संलग्न होगा।
   (ख) वित्तीय निविदा में सामानों का दर अंकित रहेगा, दर स्पष्ट एवं साफ अंकित हो। सभी सामानों के लिए मूल्य सूची अलग–अलग होगा। मूल्य सूची में सरकार द्वारा निर्धारित कर दर सम्मिलित होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ वाणिज्य कर/आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र/निर्माता सामग्री का अनुज्ञप्ति एवं उसका नवीकरण प्रमाण पत्र, कैटलॉग, पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न रहना चाहिए।
3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में दवा के लिए 5,000/– (पाँच हजार) एवं मशीन उपकरण के लिए 10,000/– (दस हजार) रूपये का बैक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से संलग्न करना होगा। यह सरकारी प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा।
4. निविदादाता का घोषणा पत्र देना होगा कि सभी सामग्री सरकारी नियमों के अधीन आपूर्ति की जायेगी तथा उन पर कोई आरोप एवं कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा कम्पनी रूग्ना अवस्था में नहीं है।
5. सभी सामग्री मानक स्तर का होना चाहिए। मशीन उपकरण/औजार के लिए निविदादाता को घोषणा देना होगा कि इसके गारंटी/वारंटी अवधि की समाप्ति होने पर मशीन उपकरण की मरम्मति कब तक मुफ्त में की जायेगी तथा शुल्क लेकर कब तक मरम्मति की जायेगी।
6. मशीन उपकरण में एक वर्ष के अन्दर खराबी आने पर उसे चालू हालत में लाने अथवा उसे बदल कर देने की पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। इस पर आने वाले खर्च का वहन आपूर्तिकर्ता के द्वारा की जायेगी।
7. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सामानों की आपूर्ति करनी होगी।
8. निविदा प्रकाशन के लिए दिये गये मशीन उपकरण/दवा इत्यादि की सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगा जो कार्यालय कार्यकाल में प्राप्त किया जा सकता है तथा सूची कार्यालय के सूचनापट पर भी देखी जा सकती है।
9. निविदा से सम्बन्धित किसी भी मामले का न्यायिक क्षेत्र गोड्डा होगा।
10. निर्माता कम्पनी अपने अधिकृत डीलर द्वारा सामग्री आपूर्ति में सम्पादित अनियमित कार्य के लिए मुख्य रूप से पूर्ण जिम्मेवार होगा।
11. निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर को झारखण्ड राज्य का अनुज्ञप्ति होना चाहिए नहीं तो दूसरे राज्य के अधिकृत डीलर से सामग्री ली जायेगी।
12. आदेश के बाद सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. दवा/मशीन उपकरण इत्यादि की सूची झारखण्ड सरकार के इंटरनेट के वेवसाईड www.jharkhand.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
14. निविदा पूर्ण रूप से स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह०/–
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा।

ज्ञापांक 263/गोड्डा, दिनांक 14-2-2011

प्रतिलिपि :– जिला विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गोड्डा को सूचनार्थ एवं इंटरनेट पर निविदा छोड़ने हेतु प्रेषित।

14/2/11

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा।